सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 84/2018

गणपत सिंह पुत्र भवंरसिंह दरोगा निवासी पारा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 14.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मय आधार कार्ड, संरपंच ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र, राशनकार्ड , माध्यमिक परीक्षा एवं अन्य दस्तावेज पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 108 व 175 में वादी का के पिता का नाम गणपतसिंह पुत्र भूरालाल दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवा कर गणपतसिंह पुत्र भंवरसिह दर्ज किया जावे।**

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 108 व 175 में वादी का के पिता का नाम गणपतसिंह पुत्र भूरालाल दर्ज है ।** वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 108 व 175 में वादी का के पिता का नाम गणपतसिंह पुत्र भूरालाल के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र भंवरसिह** किया जाने की तहसीलदार केकड़ी द्वारा सिफारिश की है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का मानखण्ड की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि **ग्राम पारा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 108 व 175 में वादी का के पिता का नाम गणपतसिंह पुत्र भूरालाल के स्थान पर गणपतसिंह पुत्र भंवरसिह** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **गणपतसिंह पुत्र भूरालाल** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी **गणपतसिंह पुत्र भूरालाल** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **गणपतसिंह पुत्र भूरालाल** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 14.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पारा में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी